निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 78/2025 (रसद अपील)

रामेश्वर लाल चौधरी पुत्र श्री किशन लाल चौधरी निवासी ग्राम अवानिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर प्राधिकार धारक ग्राम पंचायत अवानिया जिला जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर, द्वितीय।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (2) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 02/2024 आदेश दिनांक 21.05.2024 जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत अवानिया तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का प्राधिकार पत्र संख्या 36/2012 निरस्त करने तथा 45 कि॰ग्रा॰ गेहूँ की वसूली का आदेश पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री के॰डी॰ शर्मा अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 10.03.2025**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी रामेश्वर लाल चौधरी पुत्र श्री किशन लाल चौधरी निवासी ग्राम अवानिया तहसील सांगानेर की उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत अवानिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर 45 कि॰ग्रा॰ गेहूँ की राशि वसूली के पारित आदेश 21.05.2024 से व्यथित होकर अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत अवानिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर का प्राधिकारधारक दुकानदार है, जिसे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 (जिसे एतदपश्चात आदेश 1976 कहा गया है) के प्रावधानों के तहत प्राधिकार संख्या 36/2012 मिला हुआ है। अपीलार्थी उक्त आदेश 1976 एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो व निर्बन्धनों तथा केन्द्रीय व राज्य सरकार के अधिसूचित आदेशों एवं सक्षम अधिकारियो के निर्देशानुसार खाद्यान्न व अन्य आवश्यक पदार्थ, जो विभिन्न योजनाओं के

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

तहत अपीलार्थी को राज्य सरकार से प्राप्त होते है, का वितरण राशनकार्डधारक यूनिट रजिस्टर में दर्ज उपभोक्ताओं को आधार कार्डो पर पोस ट्रान्जेक्शन के जरिये करता आ रहा है। दिनांक 23.01.2024 को महेश कुमार मीणा प्र.अ. ने अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को दिनांक 06.02.2024 को प्रस्तुत की जिस पर प्रत्यर्थी जिला रसद अधिकारी ने दिनांक 09.02.2024 को अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 36/2012 अस्थाई रूप से निलम्बित करने का आदेश पारित कर कारण बताओं नोटिस जारी किया जिसमें अनियमितताओं का उल्लेख किया गया । दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी ने अपना प्रति उत्तर नोटिस एवं लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दुकान के किये गये निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही संस्थित कर जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई । दिनांक 20.02.2024, 15.03.2024 व 05.04.2024 को चुनावों के कारण पीठासीन अधिकारी मौजूद नहीं थे तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर को दिनांक 24.04.2024 को पत्रावली मे शामिल नहीं किया गया और अपीलार्थी को आगामी तारीख पेशी बाबत दूरभाष से सूचित करने को कहा गया। दिनांक 24.04.2024 के बाद जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी को दूरभाष से तारीख पेशी की कोई सूचना नहीं दी और दिनांक 21.05.2024 को एक तरफा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 09.02.2024 को कारण बताओ नोटिस में जो अनियमितता बताई गई है, वह पूर्ण रूप से गलत है । अपीलार्थी द्वारा नोटिस में वर्णित किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की, जहां तक अनियमितता नम्बर एक का प्रश्न है उसके संबंध में अपीलार्थी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 512 दिनांक 01.12.2023 की दर्ज कराई है जिसकी प्रतिलिपि प्रस्तुत है जो 90 क्विंटल गेहूँ चोरी होने के संबंध में है। अनियमितता नम्बर 2 के संबंध में मुख्य व स्टॉक सूची ना तो प्रवर्तन अधिकारी ने प्राप्त की और ना ही उसकी फोटो ली । इसके संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम मिश्रीलाल 1990 (1) आर एल डब्लू में स्पष्ट है। अनियमितता नम्बर 3, निरीक्षणकर्ताओं को प्रस्तुत ना करना अपराध नहीं माना जैसा कि माननीय पटना उच्च न्यायालय ने भूषण देव शाह बनाम स्टेट ऑफ बिहार 1991(क) ई एण्ड आर पैरा नम्बर 8 में स्पष्ट किया गया है। अनियमितता नम्बर 4 का प्रश्न है, पोस मशीन में से उपभोक्ताओं को दी जाने वाली रसीद का रोल समाप्त हो चुका था तथा दिनांक 29.06.2016 के राजस्थान सरकार के आदेश द्वारा क्यूवेल रजिस्टर रखने का प्रावधान समाप्त कर दिया था तथा मासिक रिर्टन रखने के प्रावधान अपीलार्थी पर लागू नहीं होते है। जैसा की मान्य राजस्थान उच्च न्यायालय 1979 आर सी सी 370 के मामले में स्पष्ट है। इस प्रकार अपलार्थी पर नोटिस में वर्णित कोई भी अनियमितता सिद्व नहीं हुई । अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने निर्णय पारित करने से पूर्व ना तो कोई साक्ष्य दी ना कोई साक्ष्य ली जिससे अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। जैसा कि माननीय आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने ए आई आर 2023 ए पी–3 के मामले में स्पष्ट किया है। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जिससे निर्णय एक तरफा में पारित किया गया है जैसा कि ए.आई.आर 2018, झारखण्ड–137, के मामले में स्पष्ट किया गया है। अपीलार्थी

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

से चोरी हुये गेहूं की राशि वसूल करने के आदेश दिये है वह पूर्ण रूप से अवैध व मनमाना है । क्योंकि इसके संबंध में पुलिस कार्यवाही विचाराधीन है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा आक्षेपित आदेश व निर्णय दिनांक 21.05.2024 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र व प्रतिभूति राशि बहाल किये जाने के आदेश फरमावें।

5. प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्कों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की अनियमितता संख्या एक गम्भीर प्रकृति का है प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 12 के अनुसार प्राधिकार धारक खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं को अच्छी हालत में रखने का जिम्मेदार होगा और किसी अन्य घटिया किस्म के साथ अपमिश्रित नहीं करेगा । इस आशय से कि डीलर के पास कम पाया गया राजकीय राशन 4500 किलोग्राम गेहूं की पूर्ति करवाया जा सके, डीलर को जरिये दूरभाष से बुलाया गया तथा कम पाये गये राशन की पूर्ति करने हेतु कहा गया, परन्तु डीलर द्वारा कम पाये गये राजकीय राशन की पूर्ति करने से स्पष्ट इंकार कर दिया तथा कहा कि मेरा राशन चोरी हो गया जिसकी मैने एफ आई आर दर्ज करवा रखी है। पुलिस द्वारा चोरी किया गया राशन ढूंढ कर दिलाया जायेगा तब मेरे द्वारा कम पाये गये राशन की पूर्ति कर दी जायेगी । इससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी डीलर मात्र एफ आई आर दर्ज करवा कर राजकीय राशन को हडप करने की मंशा रखता है जो कि गबन की श्रेणी में आता है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 7, 8 10 व 12 का उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर अपीलार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है तथा डीलर ने 4500 कि॰ ग्रा॰ गेहूं का गबन कर दुरूपयोग किये जाने से पीडीआर के तहत प्रकरण बना कर तहसीलदार सागानेर को वसूली हेतु भेजे जाने के आदेश दिये है। इस प्रकार जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. अपीलार्थी का कथन है कि उसके जबाब को रिकार्ड पर नहीं लिया गया ओर उसको बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है । अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि आदेशिका दिनांक 24.04.2024 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "डीलर उपस्थित जबाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 9.05.2024 को पेश हो। " दूसरी आदेशिका दिनांक 9.05.2024 की इस प्रकार है– " डीलर अनुपस्थित डीलर को दूरभाष से सूचित कर कार्यालय में उपस्थिति हेतु पाबन्द किया जावे ताकि 4500 कि॰ग्रा गेहूं की पूर्ति करवाई जा सके। पत्रावली 21.05.2024 को पेश हो। " इसलिए अपीलार्थी डीलर का यह कथन मान्य नहीं है कि उसके द्वारा दिये गये जबाब को रिकार्ड पर नहीं लिया गया और उसे सुनवाई का अवसर नही दिया गया। अपीलार्थी पर मुख्य रूप से, भौतिक सत्यापन करने पर 4500 कि॰ग्रा॰ गेहूँ कम पाये जाने का आरोप है। जिसके लिए

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अपीलार्थी का कथन कि इसमें अपीलार्थी का कोई कसूर नहीं है। उक्त गेहूं चोरी हो गया, जिसकी एफ आई आर पुलिस थाना बगरू में दर्ज करवा रखी है। अपीलार्थी का एफ आई आर दर्ज कराना तो उचित है, परन्तु प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 12 के अनुसार प्राधिकार धारक की खाद्यानों और अन्य आवश्यक वस्तुओं को अच्छी हालत में रखने की जिम्मेदारी भी है। केवल मात्र एफ आई आर दर्ज कराने मात्र से डीलर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। अन्य अनियमितताओं के लिए अपीलार्थी ने न्यायिक दृष्टान्त पेश किये है, किन्तु कम पाये ये गेहूं के बारे में किसी प्रकार का न्यायिक दृष्टान्त पेश नहीं किया गया। डीलर ने एफ आई आर में ताले टूटे हुये बताये गये है, किन्तु ऐसी कोई मौके की फोटोग्राफ पेश नहीं की गई। भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में 22165 कि॰ग्रा॰ गेहूं मौके पर पाया जाना और केवल मात्र 4500 कि॰ग्रा॰ गेहूं की ही चोरी होना अपने आप में संदेह पैदा करता है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.05.2024 मे हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

8. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को सरे इजलास सुना गया ।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner